भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 HUNDRED

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 718399

कोषागार गोण्डा-50
07 DEC 2023
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

NOTARY
Virendra Nath Mishra
Area Dist. Gonda
Regd. No. 10795
Exp. On 11.12.2024
GOVT. OF INDIA

विक्रय अनुबन्ध पत्र

मैं श्रीमती आकांक्षा पत्नी श्री अच्युत एवं श्री अच्युत पुत्र अशोक कुमार निवासी जग्गी कालोनी डुमरियागंज मार्ग, पाण्डेय बाजार, पुरानी बस्ती, बस्ती 272002 ।

Aakanksha Achyut

प्रथम पक्ष/विक्रेतागण

एवं

मैं नम्रता अग्रवाल पत्नी सुमन कुमार निवासी डुमरियागंज, पाण्डेय बाजार,जिगनी, बस्ती (उत्तर प्रदेश) 272002 ।

Namrata Agrawal

द्वितीय पक्ष/क्रेता

सम्पत्ति प्लाट के क्रय हेतु सहमत हुए हैं :-

हम उभय पक्ष इस विक्रय विलेख में वर्णित निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते हैं:-

ATTESTED
VIRENDRA NATH MISHRA
NOTARY Distt. Gonda U.P.

2472

10-1-24

[illegible] स्टाम्प विक्रेता

[illegible] गोण्डा

[illegible] 25/15

हस्ताक्षर. [illegible]

नीता अग्रवाल पत्नी सुमन्त कुमार नि०

[illegible] 10213 [illegible]

100 — [illegible]

यह कि प्रथम पक्ष का फ्लैट संख्या बी 806 (आठवां तल) क्षेत्रफल 74.07 वर्ग मीटर, द वुड्स नौबस्ता, देवा रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की स्वामी व मालिक कामिल व काबिज है उक्त फ्लैड हर प्रकार के भारों एवं विवादों जैसे रेहन,व्यय,हिबा,जमानत कुर्की आदि से पूर्णतया बरी एवं पाक-साफ है। जिसे प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है, अतः विक्रेता प्रथम पक्ष अपनी राजी खुशी बिना किसी जोर दबाव व नाजायज के बदरूरत होशो हवास में उपरोक्त फ्लेंट को द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रू० 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) में बेचना तय किया है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अग्रिम बयाने के तौर पर रू० 51,000/- (इक्यावन हजार रुपये) चेक सं० 280426 के माध्यम से अदा किया है तथा द्वितीय पक्ष माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुमति उपरान्त एक माह के भीतर शेष धनराशि अदा करके उक्त फ्लेट/सम्पति की रजिस्ट्री क्रेता अपने हक में करवा लेगा।

NOTARY
Virendra Nath Mishra
Area Dist. Gonda
Regd. No. 1795
Exp. On 11 12 2024
GOVT. OF INDIA

1- यह कि विक्रीत प्लाट की रजिस्ट्री में होने वाले समस्त व्यय द्वितीय पक्ष/क्रेता वहन करेगा।

2-यह कि प्लेट को क्रय करने हेतु क्रेता किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/वित्तीय निकाय से ऋण प्राप्त कर सकता है।

3- यह कि इस विक्रय अनुबन्ध विलेख की समस्त शर्तें विक्रेता/प्रथम पक्ष एवं क्रेता व उभय पक्षों के वारिसानों एवं विधिक उत्तराधिकारियों पर भी प्रभावी रहेगी।

चौहद्दी:-

पूरब :- कामन पैसेज
पश्चिम :- ओपेन टू स्काई
उत्तर :- ओपेन टू स्काई
दक्षिण :- फ्लैट संख्या बी 807

अत: यह इकरारनामा व कब्जा खूब सोच समझकर रूबरु गवाहान लिख दिया ताकि सनद् रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

दिनांक-

Aakanksha Ahyt
ह० प्रथम पक्ष

Namrata Agrawal
ह० द्वितीय पक्ष

SOLEMNLY AFFIRMED
&
DECLARED BEFORE ME
ON... 11.01.24

गवाहान -

1- [signature]

2- Alka Agrawal

VIRENDRA NATH MISHRA
DISTT GONDA (U.P.)